

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समर्स्ट जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
2. समर्स्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/ ५८८७ - २

दिनांक: १८-१०-२०२३

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक जिला कार्ययोजना (DHAP Guideline) संबंधी दिशा-निर्देश।

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की आरोगोपी० में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु० 27026.44 लाख का आवंटन पत्र सं० SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/1386 दिनांक 19/05/2023 के माध्यम से तथा रु० 10575.81 लाख का आवंटन पत्र सं० SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/4618-2 दिनांक 11-09-2023 के माध्यम से पूर्व में किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की आरोगोपी० /अनुपूरक आरोगोपी० में भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु० 18149.91 लाख का आवंटन जनपदो में एन.यू.एच.एम. के अंतर्गत संचालित गतिविधियो हेतु संलग्न फॉट के अनुसार किया गया है। भारत सरकार द्वारा मदवार अनुमोदित धनराशि तथा उसके सापेक्ष जनपदो को आवंटित की जा रही धनराशि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—

1. **FMR Code HSS(U).1.127 – Development and Operationalisation of Health and Wellness Centers-Urban** – के अंतर्गत आरोगोपी० में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल रु० 673.06 लाख की धनराशि संबंधित जनपदो हेतु स्वीकृत 10625 शहरी आशाओ के Asha Incentive for Additional range of Services, Incentive to Asha for CBAC, Mobile Recharge for ASHA तथा नवीन स्वीकृत 100 यू०पी०एच०सी० के हेत्थ एण्ड वेलनेस सेंटर मे उच्चीकरण के लिए Computer and Printers for UPHC-HWC for IT Support एवं Branding and IEC हेतु सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से शेष 03 माह की धनराशि आवंटित की जा रही है।
2. **FMR Code HSS(U).2.130 – ASHA- Including ASHA Certification and ASHA benefit** - के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की आरोगोपी० में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु० 871.11 लाख संबंधित जनपदो को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से स्वीकृत 12489 शहरी आशाओ के Routine Incentive, Health Promotion Day तथा PMMVY Incentive हेतु सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से शेष 03 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।
3. **FMR Code HSS(U).2.134- Outreach activity** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की आरोगोपी० में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु० 209.01 लाख ANM Mobility, UHND तथा Outreach Camp हेतु जनपदो को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से शेष 03 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।

4. **FMR Code HSS (U).3.137- Urban PHC** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की आरोपी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु0 479.25 लाख **Rent of UPHCs** हेतु जनपदों को सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से शेष 03 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।
5. **FMR Code HSS(U).5.142 Remuneration of all NHM HR** - के अन्तर्गत आरोपी/अनुपूरक आरोपी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु0 12697.07 लाख की धनराशि पूर्व में 15वें वित्त आयोग तथा एनोयूएचओएमो के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत मानव संसाधन हेतु शेष 03 माह के मानदेय तथा रिक्त पदों हेतु 06 माह के मानदेय की धनराशि सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से संबंधित जनपदों को आवंटित की गयी है।
6. **FMR Code HSS (U).5.143- Incentives (Allowance, Incentives, Staff Welfare Fund)** - के अन्तर्गत आरोपी/अनुपूरक आरोपी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु0 1050.00 लाख की धनराशि संबंधित जनपदों को पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पॉलीक्लीनिक हेतु स्वीकृत **Specialist Incentives** हेतु 06 माह की धनराशि सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है।
7. **FMR Code HSS(U).5.144- Incentive under CPHC** - के अन्तर्गत आरोपी/अनुपूरक आरोपी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु0 1437.90 लाख की धनराशि संबंधित जनपदों पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष 354 U-HWC के Medical Officers के **Performance Based Incentive** तथा **Team Based Incentives** हेतु 06 माह तथा यूपीएचओसी० के अन्तर्गत स्वीकृत पदों हेतु शेष 03 माह की धनराशि सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है।
8. **FMR Code HSS (U).6.146- Planning and Program Management** के अन्तर्गत आरोपी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु0 116.40 लाख जनपदों को **Mobility Support and Office expenses, TA/ DA for SPMU/Div PMU/DPMU/CCPM** हेतु सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से शेष 03 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।
9. **FMR Code HSS (U).9.149- Untied Grants** के अन्तर्गत आरोपी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु0 616.11 लाख जनपदों को Untied grants to UPHC/UCHC and MAS हेतु सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से शेष 03 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाये—

- विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाये। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जॉच के समय प्रेषित किया जा सके।
- ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

- मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस के आधार पर सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण के उपरान्त नियमानुसार देय होगा। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुर्नरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी (एन.यू.एच.एम.), जिला लेखा प्रबन्धक एवं कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तथा जनपदवार फांट पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि प्रत्येक गतिविधि हेतु तय समयावधि के भीतर आवंटित धनराशि का नियमानुसार उपयोग कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीया,

 (डा० पिंकीं जोवल)
 मिशन निदेशक
 तददिनांक।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ०प्र० लखनऊ।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- महाप्रबन्धक, एम०आई०एस० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
- समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा० सलिल कुमार श्रीवास्तव)
 महाप्रबन्धक एन.यू.एच.एम

प्रेषक,

मिशन निवेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समरत जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
2. समरत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/

दिनांक/८/०८/२०२३

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक जिला कार्ययोजना
(DHAP Guideline) संबंधी दिशा-निर्देश।

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की आरोगोपी० मे॒ स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु० 27026.44 लाख का आवंटन पत्र सं० SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/1386 दिनांक 19/05/2023 के माध्यम से तथा रु० 10575.81 लाख का आवंटन पत्र सं० SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/4618-2 दिनांक 11-09-2023 के माध्यम से पूर्व मे॒ किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की आरोगोपी०/अनुपूरक आरोगोपी० मे॒ भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु० 18149.91 लाख का आवंटन जनपदो॒ मे॒ एन.यू.एच.एम. के अंतर्गत संचालित गतिविधियो॒ हेतु सलंगन फांट के अनुसार किया गया है। भारत सरकार द्वारा मदवार अनुमोदित धनराशि तथा उसके सापेक्ष जनपदो॒ को आवंटित की जा रही धनराशि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

1. **FMR Code HSS(U).1.127 – Development and Operationalisation of Health and Wellness Centers-Urban** – के अंतर्गत आरोगोपी० मे॒ स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल रु० 673.06 लाख की धनराशि संबंधित जनपदो॒ हेतु स्वीकृत 10625 शहरी आशाओ॒ के Asha Incentive for Additional range of Services, Incentive to Asha for CBAC, Mobile Recharge for ASHA तथा नवीन स्वीकृत 100 यू०पी०एच०सी० के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर मे॒ उच्चीकरण के लिए Computer and Printers for UPHC-HWC for IT Support एवं Branding and IEC हेतु सलंगन फांट के अनुसार डैप के माध्यम से शेष 03 माह की धनराशि आवंटित की जा रही है।
2. **FMR Code HSS(U).2.130 – ASHA- Including ASHA Certification and ASHA benefit** - के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की आरोगोपी० मे॒ स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु० 871.11 लाख संबंधित जनपदो॒ को सलंगन फांट के अनुसार डैप के माध्यम से स्वीकृत 12489 शहरी आशाओ॒ के Routine Incentive, Health Promotion Day तथा PMMVY Incentive हेतु सलंगन फांट के अनुसार डैप के माध्यम से शेष 03 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।
3. **FMR Code HSS(U).2.134- Outreach activity** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की आरोगोपी० मे॒ स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु० 209.01 लाख ANM Mobility, UHND तथा Outreach Camp हेतु जनपदो॒ को सलंगन फांट के अनुसार डैप के माध्यम से शेष 03 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।

4. **FMR Code HSS (U).3.137- Urban PHC** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की आरोपी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु0 479.25 लाख Rent of UPHCs हेतु जनपदों को सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से शेष 03 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।
 5. **FMR Code HSS(U).5.142 Remuneration of all NHM HR** - के अन्तर्गत आरोपी/अनुप्रक आरोपी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु0 12697.07 लाख की धनराशि पूर्व में 15वें वित्त आयोग तथा एनोयूएच०एम० के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत मानव संसाधन हेतु शेष 03 माह के मानदेय तथा रिक्त पदों हेतु 06 माह के मानदेय की धनराशि सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से संबंधित जनपदों को आवंटित की गयी है।
 6. **FMR Code HSS (U).5.143- Incentives (Allowance, Incentives, Staff Welfare Fund)** - के अन्तर्गत आरोपी/अनुप्रक आरोपी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु 1050.00 लाख की धनराशि संबंधित जनपदों को पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पॉलीक्लीनिक हेतु स्वीकृत Specialist Incentives हेतु 06 माह की धनराशि सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है।
 7. **FMR Code HSS(U).5.144- Incentive under CPHC** - के अन्तर्गत आरोपी/अनुप्रक आरोपी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु0 1437.90 लाख की धनराशि संबंधित जनपदों पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष 354 U-HWC के Medical Officers के Performance Based Incentive तथा Team Based Incentives हेतु 06 माह तथा यूपी०एच०सी० के अन्तर्गत स्वीकृत पदों हेतु शेष 03 माह की धनराशि सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है।
 8. **FMR Code HSS (U).6.146- Planning and Program Management** के अन्तर्गत आरोपी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु0 116.40 लाख जनपदों को Mobility Support and Office expenses, TA/ DA for SPMU/Div PMU/DPMU/CCPM हेतु सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से शेष 03 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।
 9. **FMR Code HSS (U).9.149- Untied Grants** के अन्तर्गत आरोपी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु0 616.11 लाख जनपदों को Untied grants to UPHC/UCHC and MAS हेतु सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से शेष 03 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाये-

- विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एस. पोर्टल द्वारा किया जाये। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जॉच के समय प्रेषित किया जा सके।
 - ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
 - धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

- मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस के आधार पर सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण के उपरान्त नियमानुसार देय होगा। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुनरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी (एन.यू.एच.एम.), जिला लेखा प्रबन्धक एवं कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तथा जनपदवार फांट पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि प्रत्येक गतिविधि हेतु तय समयावधि के भीतर आवंटित धनराशि का नियमानुसार उपयोग कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीया,

(डा० पिकीं जोवल)
मिशन निदेशक
तददिनांक।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/ 5887 - 2(9)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ०प्र० लखनऊ।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- महाप्रबंधक, एम०आई०एस० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेत्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
- समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा० सलिल कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक एन.यू.एच.एम

बजट आवंटन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम—राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की अनुपूरक जिला कार्ययोजना (DHAP Guideline) संबंधी दिशा—निर्देश।

प्रस्तावना—

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की आरोपी0/सप्लीमेन्ट्री आरोपी0 के सापेक्ष रु0 27026.44 लाख का आवंटन पत्र सं0 SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/1386 दिनांक 19–05–2023 तथा रु0 10575.81 लाख का आवंटन पत्र सं0 SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/4618-2 दिनांक 11–09–2023 के माध्यम से पूर्व में किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023–24 की आरोपी0/अनुपूरक आरोपी0 में भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु0 18149.91 लाख का आवंटन जनपदों में एन.यू.एच.एम. के अंतर्गत संचालित गतिविधियों हेतु संलग्न फांट के अनुसार किया गया है। आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाना है:—

FMR Code HSS(U).1.127 – Development and Operationalisation of Health and Wellness Centers_Urban -- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की आरोपी0/अनुपूरक आरोपी0 में मद सं0 HSS(U).1.127 के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल रु0 673.06 लाख जनपदों को सलंगन फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आंवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:—

- HSS(U).1.127.ASHA.1 (Asha Incentive for Additional range of Services)**-- इस मद में हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अंतर्गत कार्यरत अरबन आशाओं हेतु रु0 1000/- प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 10625 अरबन आशाओं हेतु 03 माह के लिये संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

इस धनराशि का पत्र संख्या— SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/6464 दिनांक 10/01/2022 के द्वारा नगरीय हेत्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के टीम बेर्स्ड इंसेंटिव हेतु प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

- HSS(U).1.127.ASHA.2 (Incentive to Asha for CBAC)**-- इस मद में हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु 10625 अरबन आशाओं हेतु C-BAC form हेतु रु0 10/- प्रति C-BAC form for 740 Forms per Urban ASHA की दर से प्रोत्साहन राशि 03 माह हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग पत्र संख्या— SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14/10/2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा—निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
- HSS(U).1.127.OOC.2 (IT Support)**-- 710 हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु रु0 10000/- प्रति हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रति वर्ष की दर से 03 माह हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।
- HSS(U).1.127.OOC.3 (Mobile Recharge)**-- इस मद में हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अंतर्गत कार्यरत अरबन आशाओं हेतु रु0 200/- प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 10625 अरबन आशाओं हेतु 03 माह के लिये संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग पत्र संख्या— SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14/10/2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा—निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।

5. **HSS(U).1.127.IEC.1 (IEC & Wellness Activities)**-- 610 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आई0ई0सी0 एवं वेलनेस गतिविधि हेतु ₹0 50,000.00 प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से 03 माह हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग हेतु दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

FMR Code HSS(U).2.130 – ASHA- Including ASHA Certification and ASHA benefit - भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0/अनुपूरक आर0ओ0पी मे स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि ₹0 871.11 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः-

1. **HSS(U).2.130.ASHA.1 (Routine and Recurrring Incentive to ASHA)**-- इस मद में आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु ₹0 2000/- प्रतिमाह प्रति आशा की दर से कुल 12489 अरबन आशाओं को 03 माह हेतु धनराशि संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग पत्र सं0 SPMU/NUHM/CP/16/1832 दिनांक-29.05.2023 के माध्यम से प्रेषित शहरी आशा दिशा-निर्देश 2023–24 के अनुसार किया जाना है।
2. **HSS(U).2.130.ASHA.2 (Health Promotion Day incentive to ASHA)**-- इस मद में ₹0 200/- प्रतिमाह प्रति आशा की दर से 12489 आशाओं हेतु 03 माह के लिये धनराशि संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या — प0क0-13/सं0नि0न0/श0आ0-दिशा-निर्देश/52/2020-21/931-75 दिनांक 26/06/2020 के अनुसार किया जाना है।
3. **HSS(U).2.130.ASHA.3 (PMMVY Incentive to ASHAs)**-- इस मद में ₹0 100/- प्रति लाभार्थी की दर से 187335 लाभार्थी 12489 आशाओं हेतु 12 माह के लिए स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 03 माह के लिये धनराशि संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग सिफ्सा द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

FMR Code HSS(U).2.134- Outreach activity (ANM Mobility, UHND, Outreach camp) - भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 मे स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹0 209.01 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः—

1. **HSS(U).2.134.OOC.1 (Mobility Support to ANMs)**-- इस मद में Mobility Support for ANM हेतु ₹0 500/- प्रतिमाह प्रति ANM की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 03 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
उपरोक्त धनराशि का उपयोग ए0एन0एम0 द्वारा शहरी मलिन बस्तियों में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करने एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु मोबिलिटी में व्यय किया जायेगा। ए0एन0एम0 द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर यह धनराशि ए0एन0एम0 के खाते में स्थानांतरित की जायेगी।
2. **HSS(U).2.134.OOC.2 (UHND)**-- प्रत्येक ए.एन.एम. द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र में 04 यू.एच.एन.डी. प्रति माह आयोजित किये जायेंगे जिसके हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार 3619 ए.एन.एम. हेतु ₹0 250/- प्रति UHND की दर से कुल 03 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
यू.एच.एन.डी. के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश पत्र संख्या — SPMU /NUHM /Guideline /2020-21 /47/ 2685-75 दिनांक 16.08.2021 तथा पत्र संख्या — SPMU/NUHM/OR & UHND /2021-22 /53/ 6467-75 दिनांक 10.01.2022 के माध्यम से निर्गत किये गये हैं।
3. **HSS(U).2.134.OOC.3 (Special Outreach Camps)**--वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 मे प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में प्रत्येक त्रैमास 01 विशेष आउट रीच कैम्प

(Special Outreach Camp) आयोजित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु ₹ 6500/- प्रति ट्रैमास प्रति Special Outreach Camp की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 03 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। प्रति ट्रैमास आयोजित किये जाने वाले कैम्प हेतु अनुमोदित धनराशि निम्नानुसार व्यय की जायेगी—

क्रं०सं०	गतिविधि	धनराशि प्रति कैम्प (₹०)
1	चिकित्सक / विशेषज्ञ चिकित्सक का दैनिक भत्ता(एम०बी०बी०एस० एवं बी०डी०एस० को ₹ 1500/- तथा विशेषज्ञ हेतु ₹ 3000/-)	3,000/-
2	पैरा मेडिकल स्टाफ कुल 03 हेतु प्रत्येक को ₹ 500/- की दर से (आवश्यकतानुसार स्टाफ नर्स, एल०टी०, फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक, डेन्टल हाइजिनिस्ट आदि को रखा जा सकता है)	1,500/-
3	परिवहन व्यवस्था	1,000/-
4	प्रचार-प्रसार (लाउडस्पीकर, बैनर, इत्यादि) एवं बैठने की व्यवस्था	1,000/-
कुल योग		6,500/-

उपरोक्त धनराशि का उपयोग पत्रांक SPMU/ NUHM /Guideline/2020-21/47/ 2686-75 दिनांक 16.08.2021 के माध्यम से स्पेशल आउटरीच कैम्प हेतु प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

FMR Code HSS (U).3.137- Urban PHC (Rent , Construction, Computer, Printer, Equipment and Furniture) - भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की आर०ओ०पी० में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹० 479.25 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ०ए०एम०एस० कोडवार विवरण निम्नवत् हैः—

1. **HSS(U).3.137.OCC.1 (Rent of UPHCs)**-- इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के किराये हेतु ₹० 25000/- प्रति माह प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से पूर्व में स्वीकृत 639 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 03 माह हेतु धनराशि संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। प्रत्येक किराये के भवन हेतु अधिकतम सीमा ₹० 25000/- प्रति माह प्रति भवन की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। किराये का निर्धारण डी०एम० सर्किल रेट या ₹० 25000/-जो कम हो देय होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि जनपद के किसी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का किराया एरिया क्षेत्रफल एवं डी०एम० सर्किल रेट के अनुसार ₹० 25000/- से अधिक हो तो जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त भवन को किराये पर लेते हुए जनपद को किराये मद में कुल आवंटित धनराशि में से प्रतिमाह बचत धनराशि से नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है।

FMR Code HSS(U).5.142 Remuneration of all NHM HR - भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की आर०ओ०पी०/अनुपूरक आर०ओ०पी० में मद सं० **HSS(U).5.142** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि ₹० 12697.07 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ०ए०एम०एस० कोडवार विवरण निम्नवत् हैः—

1. **HSS(U).5.142.C.S001 (ANM/LHV for UPHC)**-- इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 3463 संविदा ANM में से 2646 ANM हेतु 03 माह तथा 817 ANM के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि ₹० 2129.88 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से ए.एन.एम. द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (ई०पी०एफ०, लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

2. **HSS(U).5.142.C.S006 (Staff Nurses for UPHC)**-- इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 1543 संविदा Staff Nurse में से 844 Staff Nurse हेतु 03 माह तथा 699 Staff Nurse के 06 माह के मानदेय हेतु

धनराशि रु0 1526.52 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

3. **HSS(U).5.142.C.S011 (Staff Nurse for UCHC)**-- इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत 35 संविदा Staff Nurse में से 16 Staff Nurse हेतु 03 माह तथा 19 Staff Nurse के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 35.10 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
4. **HSS(U).5.142.C.S016 (Lab Technician at UPHC)**-- इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत 710 संविदा Lab Technician में से 449 Lab Technician हेतु 03 माह तथा 261 Lab Technician के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 538.51 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Lab Technician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
5. **HSS(U).5.142.C.S021 (Lab Technician at UCHC)**-- इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत 05 Lab Technician में से 01 Lab Technician हेतु 03 माह तथा 04 Lab Technician के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 4.21 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Lab Technician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
6. **HSS(U).5.142.C.S026 (Pharmacist at UPHC)**-- इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत 710 संविदा Pharmacist में से 497 Pharmacist हेतु 03 माह तथा 213 Pharmacist के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 667.76 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Pharmacist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
7. **HSS(U).5.142.C.S045 (Data Assistant at UCHC)**-- जनपद लखनऊ में Other NUHM (08 Data Assistant, lko) में स्वीकृत 08 Data Assistant के 03 माह का मानदेय हेतु धनराशि रु0 5.59 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Data Assistant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
8. **HSS(U).5.142.C.S046 (Nurse Mentor at UCHC)**-- इस मद में जनपद वाराणसी में स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 01 Nurse Mentor के 03 माह का मानदेय हेतु धनराशि रु0 0.83 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Nurse Mentor द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
9. **HSS(U).5.142.C.S051 (Gynaecologist)**-- इस मद में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 11 Gynaecologist के 03 माह का मानदेय हेतु धनराशि रु0 32.59 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Gynae द्वारा जनपद में दी गयी योगदान

आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

10. **HSS(U).5.142.C.S057 (Paediatrician)**-- इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 13 Paediatrician के 03 माह का मानदेय हेतु धनराशि रु0 39.20 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Paediatrician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
11. **HSS(U).5.142.C.S062 (Anaesthetist)**-- इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 12 Anaesthetist के 03 माह का मानदेय हेतु धनराशि रु0 35.41 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Anaesthetist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
12. **HSS(U).5.142.C.S068 (Surgeon)**-- इस मद जनपद वाराणसी में पूर्व से स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 02 Surgeon के 03 माह का मानदेय हेतु धनराशि रु0 6.93 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Surgeon द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
13. **HSS(U).5.142.C.S074 (Radiologist)**-- इस मद जनपद लखनऊ में स्वीकृत 08 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 08 Radiologist के 03 माह का मानदेय हेतु धनराशि रु0 19.85 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Radiologist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
14. **HSS(U).5.142.C.S080 (Other Specialist/Physician)**-- इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 08 Physician के 03 माह का मानदेय हेतु धनराशि रु0 20.36 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Physician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
15. **HSS(U).5.142.C.S068 (Other Specialist/Surgeon)**-- इस मद में जनपद वाराणसी हेतु स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 02 Surgeon के 03 माह का मानदेय हेतु धनराशि रु0 4.96 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Surgeon द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
16. **HSS(U).5.142.C.S090 (Full Time MO at UPHC)**-- इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु स्वीकृत कुल 566 Full time MBBS MO के 03 माह का मानदेय हेतु धनराशि रु0 1125.07 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Full time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
17. **HSS(U).5.142.C.S095 (Part Time MO at UPHC)**-- : इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 64 Part time MBBS MO के 03 माह का मानदेय हेतु धनराशि रु0 66.00 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Part time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

- नोट— जनपद में पार्ट टाइम चिकित्सक के पद रिक्त होने पर राज्य स्तर से स्वीकृति उपरान्त ही उनकी भर्ती की जाय।

18. HSS(U).5.142.C.S100 (Full Time MO at UCHC (EMO))-- इस मद में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 04 EMO के 03 माह का मानदेय हेतु धनराशि ₹0 6.47 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से EMO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

19. HSS(U).5.142.C.S106 (Other Support staff)-- इस मद में नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 1572 Support Staff के 03 माह का मानदेय हेतु धनराशि ₹0 729.77 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Support Staff को निम्नानुसार मानदेय (मान्य लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाएः—

For In -position staff (Joined or before 2020-2021)

Support Staff		
Particular	Employee Hired by DHS	Employee Hired by Agency
Salary	11479	10481
PF(Emp.) 12%	1377	1258
ESI(Emp.) 1.75%		183
Net Payable to Employee	10102	9040
GST 18%		2388
Service charge (10%)		1048
EPF (13.36%) by Employer	1534	1400
ESI (3.25%) by Employer		341
	13013	15658

For In -position staff (Joined or before 2022-2023)

Support Staff	
Particular	Employee Hired by Agency
Salary	10230
PF(Emp.) 12%	1228
ESI(Emp.) 1.75%	179
Net Payable to Employee	8824
GST 18%	2331
Service charge (10%)	1023
EPF (13.36%) by Employer	1367
ESI (3.25%) by Employer	332
	15284

For vacant— All vacant position will be full filled by DHS through empanelled outsource agency

Support Staff - NUHM FY 2023-24	
Particular	Employee Hired by Agency
Salary	9743
PF(Emp.) 12%	1169
ESI(Emp.) 1.75%	171
Net Payable to Employee	8403
GST 18%	2220
Service charge (10%)	974
EPF (13.36%) by Employer	1302
ESI (3.25%) by Employer	317
	14556

- उपरोक्त सर्पेट स्टॉफ का मानदेय निर्धारण Minimum Wages Act, 1948 के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

20. HSS(U).5.142.C.S112--Secretarial Staff for Account Keeping cum MIS (पूर्व नाम DEO cum Accountant)-- इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 687 मे से 30 Secretarial Staff for Account Keeping and MIS हेतु 03 माह 657 Secretarial Staff for Account Keeping and MIS के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 692.55 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Secretarial Staff द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

21. HSS(U).5.142.C.P009 (Divisional Urban Health Consultants)-- इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत 18 Div Urban Health Consultant मे से 17 Div UHC हेतु 03 माह तथा 01 Div UHC के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 34.98 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Div UHC द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

22. HSS(U).5.142.C.P014 (District Urban Health Cordinator)-- इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत 75 Urban Health Coordinator मे से 60 District UHC के 03 माह तथा 15 UHC के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 114.05 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Urban Health Coordinator द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

23. HSS(U).5.142.C.P015 (Data cum Account Assistant)-- इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत 83 Data cum account assistant मे से 58 DCAA के 03 माह तथा 25 DCAA के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 85.73 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Data cum account assistant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

24. HSS(U).5.142.C.P016/P017/P018 (Sr. Computer Operator/Store Keeper/Support Staff)-- इस मद में 01 Computer Operator, 01 Store Keeper and 03 Support Staff (Lucknow Urban RCH Office) के 03 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 2.92 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Computer Opretor, Store Keeper and Support Staff द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (मान्य लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाएः-

For In -position staff

Support Staff - NUHM FY 2023-24		
Particular	Employee Hired by DHS	Employee Hired by Agency
Salary	11479	10481
PF(Emp.) 12%	1377	1258
ESI(Emp.) 1.75%		183

(Signature)

Net Payable to Employee	10102	9040
GST 18%		2388
Service charge (10%)		1048
EPF (13.36%) by Employer	1534	1400
ESI (3.25%) by Employer		341
	13013	15658

For vacant – All vacant position will be full filled by DHS through empanelled outsource agency

Support Staff - NUHM FY 2023-24	
Particular	Employee Hired by Agency
Salary	9743
PF(Emp.) 12%	1169
ESI(Emp.) 1.75%	171
Net Payable to Employee	8403
GST 18%	2220
Service charge (10%)	974
EPF (13.36%) by Employer	1302
ESI (3.25%) by Employer	317
	14556

नोट-

- उपरोक्त सर्पेट स्टॉफ का मानदेय निर्धारण Minimum Wages Act, 1948 के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

25. HSS(U).5.142.C.P028 (City Community Process Manager)-- इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत 46 CCPM में से 23 CCPM के 03 माह तथा 23 CCPM के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि ₹0 39.28 लाख संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से CCPM द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (₹०पी०एफ०, लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

26. HSS(U).5.142.C.S124 (Medical Officer at U-HWCs)-- इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु स्वीकृत 1013 Medical Officers में 659 हेतु पूर्व में आवंटन किया जा चुका है। शेष 354 Medical Officers के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि ₹0 1168.20 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Full time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (5% वार्षिक वृद्धि सहित, यदि नियमानुसार देय है) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

27. HSS(U).5.142.C.S125 (Staff Nurse at U-HWCs)-- इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु स्वीकृत कुल 1013 Staff Nurse के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि ₹0 1245.99 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (5% वार्षिक वृद्धि सहित, यदि नियमानुसार देय है) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

28. HSS(U).5.142.C.S126 (ANM/MPW(F) at U-HWCs)-- इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु स्वीकृत कुल 1013 ANM/MPW (F) के 06 माह के

8

मानदेय हेतु धनराशि रु0 861.25 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से ANM/MPW(F) द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (5% वार्षिक वृद्धि सहित, यदि नियमानुसार देय है) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

- 29. HSS(U).5.142.C.S127 (Support staff at U-HWCs)** -- इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु स्वीकृत 1013 Support Staff में 659 हेतु पूर्व में आवंटन किया जा चुका है। शेष 354 Support Staff के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 309.17 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Support Staff द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (5% वार्षिक वृद्धि सहित, यदि नियमानुसार देय है) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
- 30. HSS(U).5.142.C.S128 (Cleaning staff at U-HWCs)**-- इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु स्वीकृत 1013 Cleaning Staff में 659 हेतु पूर्व में आवंटन किया जा चुका है। शेष 354 Cleaning Staff के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 309.17 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Cleaning Staff द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (5% वार्षिक वृद्धि सहित, यदि नियमानुसार देय है) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए:-

For In -position staff (Joined in FY--2022-2023)

Particular	Support/Cleaning Staff (Amount in Rs.)	Employee Hired by Agency
Salary		10230/-
PF(Emp.) 12%		1228/-
ESI(Emp.) 1.75%		179/-
Net Payable to Employee		8823/-
GST 18%		2331/-
Service charge (10%)		1023/-
EPF (13.36%) by Employer		1367/-
ESI (3.25%) by Employer		332/-
		15283/-

For vacant – All vacant position will be full filled by DHS through empanelled outsource agency

Support/Cleaning Staff - NUHM FY 2023-24 (Amount in Rs.)

Particular	Support/Cleaning Staff - NUHM FY 2023-24 (Amount in Rs.)	Employee Hired by Agency
Salary		9743/-
PF(Emp.) 12%		1169/-
ESI(Emp.) 1.75%		171/-
Net Payable to Employee		8403/-
GST 18%		2220/-
Service charge (10%)		974/-
EPF (13.36%) by Employer		1302/-
ESI (3.25%) by Employer		317/-
		14556/-

- 31. HSS(U).5.142.C.S129 (Staff Nurse at Polyclinic)**-- इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पॉलीक्लीनिक हेतु स्वीकृत 140 Staff Nurse के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 172.20 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा

जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (5% वार्षिक वृद्धि सहित, यदि नियमानुसार देय है) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

32. HSS(U).5.142.C.S130 (Optometrist at Polyclinic)-- इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु स्वीकृत कुल 70 Optometrist के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 126.00 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Optometrist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (5% वार्षिक वृद्धि सहित, यदि नियमानुसार देय है) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

33. HSS(U).5.142.C.S131 (Physiotherapist at Polyclinic)-- इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पॉलीक्लीनिक हेतु स्वीकृत कुल 70 Physiotherapist के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 126.00 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Physiotherapist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (5% वार्षिक वृद्धि सहित, यदि नियमानुसार देय है) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

34. HSS(U).5.142.C.S132 (Integrated Counsellor at Polyclinic)-- इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पॉलीक्लीनिक हेतु स्वीकृत कुल 70 Integrated Counsellor के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 84.00 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Integrated Counsellor द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (5% वार्षिक वृद्धि सहित, यदि नियमानुसार देय है) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

35. HSS(U).5.142.C.S133 (Support staff at Polyclinic)-- इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पॉलीक्लीनिक हेतु स्वीकृत हेतु 140 Support Staff के 06 माह के मानदेय हेतु धनराशि रु0 122.27 लाख संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Support Staff द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (5% वार्षिक वृद्धि सहित, यदि नियमानुसार देय है) का सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

For vacant – All vacant position will be full filled by DHS through empanelled outsource agency

Support Staff at Polyclinic - NUHM FY 2023-24 (Amount in Rs.)	
Particular	Employee Hired by Agency
Salary	9743/-
PF(Emp.) 12%	1169/-
ESI(Emp.) 1.75%	171/-
Net Payable to Employee	8403/-
GST 18%	2220/-
Service charge (10%)	974/-
EPF (13.36%) by Employer	1302/-
ESI (3.25%) by Employer	317/-
	14556/-

नोट-

- उपरोक्त Support/Cleaning Staff का मानदेय निर्धारण Minimum Wages Act, 1948 के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

20

X

P

V

B

- उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
 - UPHC, UHWC तथा Polyclinic हेतु स्वीकृत Support/Cleaning Staff की तैनाती जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की जानी है। किसी भी स्थिति में स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक संख्या में सपोर्ट स्टाफ की तैनाती न की जाय।

*EPF (Employer's Contribution @ 13.36 % for salaries < 15000/- p.m.) - EPF हेतु धनराशि पदवार मानदेय में सम्मिलित करते हुये ₹0 15000/- प्रतिमाह या 15000/- प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों हेतु EPF (Employer's Contribution @ 13.36%) की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। EPF के सम्बन्ध में राज्य स्तर से दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये। जिन कर्मियों की वर्तमान पद पर नियुक्ति के समय मानदेय ₹0 15000/-प्रतिमाह या 15000/-प्रतिमाह से कम था, परन्तु वर्तमान में उनका मानदेय ₹0 15000/- प्रतिमाह से अधिक हो गया है तो उन कर्मियों के EPF की गणना ₹0 15000/- प्रतिमाह की दर से की जायेगी।

*ESI @3.25% - भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मियों हेतु कर्मचारी बीमा योजना के प्राविधान को लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा ₹ 21000/- प्रतिमाह तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों हेतु ₹०५००३००५० की स्वीकृति आर०ओ०पी० 2023-24 में प्रदान की गयी है। ₹०५००३००५० हेतु समय समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा-निर्देश लागू किया जायेगा।

FMR Code HSS (U).5.143- Incentives (Allowance, Incentives, Staff Welfare Fund) -भारत सरकार द्वारा गतिविधिवार तथा एफ०ए०एम०एस० कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

- 1. HSS(U).5.143.OOC.4 (Incentives to Specialist at Polyclinic)--** इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पॉलीक्लीनिक हेतु स्वीकृत Specialist Incentives हेतु संलग्न फॉट के अनुसार 06 माह की धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

FMR Code HSS (U).5.144- Incentive under CPHC (Team based Incentive for HWC, PBI for MO)-
भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की आरओपी0 / अनुपूरक आरओपी0 में मद सं0 **HSS(U).5.144** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि ₹0 1437.90 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

2. **HSS(U).5.144.1 (Team Based Incentives for 710 UPHCs-HWC)**-- इस मद में 710 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु 1.80 लाख प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रति वर्ष की दर से 03 माह हेतु संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश पत्र संख्या SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/6464 दिनांक 10.01.2022 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके हैं।

3. **HSS(U).5.144.2 (Performance Based Incentive to MOs)**— इस मद मे 566 contractual full time MO के Performance Based Incentive हेतु ₹0 20000/- प्रतिमाह प्रति contractual full time MO की दर से 03 माह हेतु धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा—निर्देश पत्र संख्या SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/7052 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके हैं।
4. **HSS(U).5.144.3 (Team Based Incentives for 659 U-HWCs)**-- इस मद में पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर मे से 354 अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु ₹0 2.00 लाख प्रति अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रति वर्ष की दर से 06 माह हेतु संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा—निर्देश पत्र संख्या SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/6464 दिनांक 10.01.2022 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके हैं।
5. **HSS(U).5.144.4 (Performance Based Incentive to MOs at U-HWCs)**— इस मद मे पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु 354 Medical Officers के Performance Based Incentive हेतु ₹0 20000/- प्रतिमाह प्रति Medical Officer की दर से 06 माह हेतु धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा—निर्देश पत्र संख्या SPMU/NUHM/15th FC/ 2023-24/82/1798 दिनांक 26-05-2023 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके हैं।

FMR Code HSS (U).6.146- Planning and Program Management (Mobility Support and Office expenses ,TA/ DA for SPMU/Div PMU/DPMU/CCPM)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 के अन्तर्गत HSS (U).6.146 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि ₹0 116.40 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः-

1. **HSS(U).6.146.PME.1 (Mobility Support for SPMU/DivPMU)**-- इस मद में Mobility Support हेतु ₹0 33000/- प्रतिमाह की दर से प्रति Div. PMU को संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 03 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
2. **HSS(U).6.146.PME.2 (Mobility Support for DPMU)**-- इस मद में Mobility Support DPMU हेतु ₹0 33000/- प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 10 UPHCs (25 DPMU), ₹0 15000/- प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 3 UPHCs (33 DPMU) एवं अन्य 17 DPMU को ₹0 10000/- प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 03 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
3. **HSS(U).6.146.PME.3.A (Mobility Support for CCPM)** – ₹0 3000/- प्रतिमाह की दर से प्रति सी. सी.पी.एम. को संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 03 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। सी.सी.पी.एम. को पूर्व की भाँति अधिकतम 3000/- प्रतिमाह की सीमा मे मोबिलिटी सर्पोट प्रदान किया जायेगा।
*नोट – इस धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1958 दिनांक 31.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।
4. **HSS(U).6.146.PME.4 (Administrative Expenses for SPMU)**-- इस मद में Administrative Expenses हेतु ₹0 15000/- प्रतिमाह की दर से प्रति Div. PMU को संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 03 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग मण्डल मुख्यालय के अतिरिक्त की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु डी.ए., बोर्डिंग

लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।

5. **HSS(U).6.146.PME.5 (Administrative Expenses for DPMU)**-- इस मद में Administrative Expenses हेतु ₹0 20000/- प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 10 UPHCs (25 जनपद) एवं शेष जनपदों को ₹0 15000/- प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार से कुल 03 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।
6. **HSS(U).6.146.PME.6 (Administrative Expenses for CPMU)**-- इस मद में Administrative Expenses हेतु ₹0 3000/- प्रति माह प्रति CCPM- की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 03 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग CCPM & Accountant cum DEO दोनों के द्वारा किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।
- नोट - मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट/सी.सी.पी.एम./एकाउन्टेंट कम डीइओ के TA/DA हेतु धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1644 दिनांक 22.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।

FMR Code HSS (U).9.149- Untied Grants (Untied grants to UPHC/UCHC and MAS)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत HSS (U).9.149 के अन्तर्गत UPHC, UCHC व MAS के अनटाईड फंड हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि ₹0 616.11 लाख जनपदों को संलग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ०ए०एम०एस० कोडवार विवरण निम्नवत् है:-

1. **HSS(U).9.149.UG.1 (Untied Fund to UPHC)**-- इस मद में 710 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति हेतु ₹0 2.50 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से वित्तीय वर्ष 2023–24 में 03 माह हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आपरेशनल व्यय (बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि) हेतु व्यय की जानी वाली धनराशि को सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की रोगी कल्याण समिति हेतु आवटित Untide Fund में सम्मिलित कर दिया गया है। अतः नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आपरेशनल व्यय हेतु समस्त व्यय, पूर्व स्वीकृत ₹0 8000/- प्रतिमाह की सीमा के अन्तर्गत, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्टाईड फन्ड से रोगी कल्याण समिति के व्यय हेतु निहित प्राविधानों के अनुसार ही किया जायेगा।
2. **HSS(U).9.149.UG.2 (Untied Fund to UCHC)**-- इस मद में जनपद लखनऊ के 8, वाराणसी के 05 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति हेतु ₹0 5.00 लाख प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से 03 माह हेतु धनराशि संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या - प0क0-13/सं0नि0नग0/रोक0स0/116/2017-18/3875-75 दिनांक 10.08.2017 के अनुसार किया जाना है।

नोट- जनपद द्वारा नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बन्धित रोगी कल्याण समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाय।

- 3. HSS(U).9.149.UG.3 (Untied Fund to MAS)--** वर्ष 2022–23 की आरओपी० में Untied funds for 12489 MAS हेतु रु० 5000/- प्रति MAS की दर से 03 माह हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का व्यय पत्रांक SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/2683-75 दिनांक
16-08-2021 अनुसार किया जाना है।

नोट— जनपद द्वारा महिला आरोग्य समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2021 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बंधित महिला आरोग्य समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक महिला आरोग्य समिति द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

- जनपदीय नोडल अधिकारी (एन.यू.एच.एम.), मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, प्रभारी चिकित्साधिकारी, अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, व अन्य के द्वारा जनपदों में संचालित गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा।
 - प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में अपने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सभी कक्षों का भ्रमण एवं कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण किया जायेगा तथा पायी गयी कमियों का अपने स्तर एवं उच्च स्तर से निराकरण कराया जायेगा।
 - प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक समीक्षा आयोजित की जाये, जिसमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मियों, १०एन०एम० एवं आशाओं की बैठक की जायेगी। बैठक में नोडल अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)/अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/डी०सी०ए०ए० के द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा। बैठक में समस्त स्टाफ के मानदेय, ए.एन.एम. मोबिलिटी, आशा इन्सेंटिव, कार्यालय व्यय, के भुगतान एवं एच.एम.आई.एस. पोर्टल फीडिंग, अपलोडिंग भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आदि चर्चा की जायेगी।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय-

- विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जॉच के समय प्रेषित किया जा सके।
 - ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
 - धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
 - मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि (योगदान आख्या तिथि से एक वर्ष संतोषजनक सेवा

पूर्ण होने पर) के आधार पर सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण के उपरान्त नियमानुसार देय होगा। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुनरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य / मान्य होगा।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी (एन.यू.एच.एम.), जिला लेखा प्रबन्धक एवं कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी / कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

    